3433

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2018 Dated Shimla-171002, the 22-09-2018

Order

Sub :- Diversion of 1.05 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Jagri Nallah to Pulga (Km. 0/0 to 1/500), within the jurisdiction of Parbati Forest Division, District Kullu, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/06/68/2017/ 1028** दिनांक **21-08-2018** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.05** हैक्टेयर वन भूमि को **HPPWD** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करते हैं।

1 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार Survey No. 53 E/NE, 1/7 Nakas PF, Kasol range, Village Pulga, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **2.10** है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

6 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

7 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां– जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।

8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा

9 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 25 trees से अधिक न हो।

10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर. सी.सी स्तभं लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जाएगा।

11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

Contd./2

Scanned by CamScanner

13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2018 Dated, Shimla-171001 the, 22-09-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun-248006.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- APCCF(FCA)O/o HPFD,HQ Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu, Himachal Pradesh .
6. DFO Parbati Forest Division, Distt., Kullu, H.P.
7. Executive Engineer/Asstt. Engineer, HPPWD Parbati, Distt. Kullu HP.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 22-9-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

प्र०मु०अ०पा० शि०मे०
फाइल सं० 2463
दिनांक 25/9/2018

Scanned by CamScanner